इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 558] भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2013—आग्रहायण 25, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 24-25-2013-एक-10.—दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को जिला सिंगरौली में अनियंत्रित भीड़ द्वारा थाना बैढ़न का घेराव करते हुए पथराव किया तथा शासकीय वाहनों को आग लगा दी गई. अनियंत्रित भीड़ श्री अखिलेश शाह पुत्र श्री भरतलाल शाह, निवासी ग्राम बिलौंजी की मृत्यु पर आक्रोशित थी, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोली चालन किया गया जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और अन्य दो घायल हो गए.

और, यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों में जांच किए जाने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है, अर्थात् :—

(1) किन परिस्थितियों में श्री अखिलेश शाह पुत्र श्री भरतलाल शाह, निवासी ग्राम बिलौंजी, जिला सिंगरौली की मृत्यु हुई.

(2) क्या जिला प्रशासन द्वारा अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समुचित उपाय किए गए तथा किन कारणों से पुलिस को गोली चालन करना पड़ा?

(3) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या समुचित कदम उठाए जाने चाहिए तथा उपाय किये जाने चाहिए?

अतएव, जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एकल सदस्य अर्थात् श्री आर.एस. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मिलकर बनने वाला एक जांच आयोग सार्वजनिक महत्व के उपर्युक्त विषयों की जांच हेतु नियुक्त करती है.

आयोग का मुख्यालय रीवा, मध्यप्रदेश होगा.

आयोग इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से, तीन मास के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा.

No. F 24-25-2013-One-10.—WHEREAS, on 13th December, 2013 in District Singrauli, an unruly crowd gheraoed the police station, Bedan and started pelting stones and burnt down government vehicles. The unruly crowd were agitated over the death of Shri Akhilesh Shah S/o Shri Bharatlal Shah resident of village Bilonji. Resultantly in order to maintain the law and order situation, police resorted to firing resulting in death of a person and two other persons were injured.

AND, WHEREAS, the State Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an enquiry into the following matters of public importance, namely :—

(1) Circumstances leading to the death of Shri Akhilesh Shah S/o Shri Bharatlal Shah resident of village Bilonji, District Singrauli.

(2) Whether adequate measures were taken by the district administration to control the unruly crowd and the reasons that led to police firing?

(3) What appropriate steps and measures should be taken to prevent recurrence of such incidents in future?

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government, hereby, appoints a Commission of Inquiry consisting of a single member, namely Shri R.S. Tripathi, Retired District and Sessions Judge to inquire into the aforesaid matters of public importance.

The headquarters of the Commission shall be at Rewa, Madhya Pradesh.

The Commission shall complete its inquiry and submit its report to the State Government within three months from the date of publication of this notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कौल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 24-25-2013-एक-10.—यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), (4) तथा (5) के समस्त उपबंधों को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 2013 के अधीन नियुक्त आयोग को लागू किये जाने चाहिए.

अतएव, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि उक्त धारा की उपधारा (2), (4) तथा (5) के समस्त उपबंध उक्त आयोग को लागू होंगे.

No. F 24-25-2013-One-10.—WHEREAS, the State Government is of the opinion that, having regard to the nature of Inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-sections (2), (4) and (5) of Section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952) should be made applicable to the Commission appointed under this Department's Notification Even Number dated 16th December 2013.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section, the State Government, hereby directs that all the provisions of sub-sections (2), (4) and (5) of the said section shall apply to the said Commission.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कौल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.